

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2019-श्रावण 4, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं श्रीमती मिनाक्षी लालझरे पति स्व. वसंतराव लालझरे, उम्र 64 वर्ष यह शपथपूर्वक घोषणा करती हूं कि विवाह के पश्चात् ससुराल में मुझे वासंती लालझरे के नाम से भी जाना जाता है, यह दोनों नाम मेरे हैं, वासंती लालझरे यह नाम मुझे मेरे पति द्वारा दिया गया था. अतः मुझे दोनों नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

(मिनाक्षी लालझरे)

पति- स्व. वसंतराव लालझरे,

(359-बी.)

नया नाम :

(मिनाक्षी लालझरे उर्फ वासंती लालझरे)

पति- स्व. वसंतराव लालझरे,
निवासी-वार्ड नं. 17, दुर्गा कॉलोनी,
रामाकोना, सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा

CHANGE IN NAME

I, DEVANAND CHOUHAN S/O RAMCHANDRA CHOUHAN do hereby declare that I have change my name as DEVENDRA CHOUHAN S/O RAMCHANDRA CHOUHAN therefore from now and future I will be known by my New name DEVENDRA CHOUHAN S/O RAMCHANDRA CHOUHAN.

Old Name :

(DEVANAND CHOUHAN)

S/o Ramchandra Chouhan.

(360-बी.)

New Name :

(DEVENDRA CHOUHAN)

S/o Ramchandra Chouhan,
H.No. 14, Hatthi Khana, Tal Road,
Jaora, Distt. Ratlam (M.P) 457226.

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री कु. रेणु उइके के कक्षा 10वीं की अंकसूची में त्रुटिवश मेरा नाम कविता बाई हो गया है। जबकि पुत्री के समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम कोकिला बाई उइके है। अतः मेरा सही नाम कोकिला बाई उइके अंकित समझा जाए एवं दसवीं की अंकसूची में भी यही नाम सुधार किया जाए।

पुराना नाम :
(कविता बाई)

(361-बी.)

नया नाम :
(कोकिला बाई उइके)
पता-क्वार्टर नं. 2097, टाईप-2,
आयुध निर्माणी परिसर, इटारसी,
तहसील-इटारसी, जिला होशंगाबाद.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सुनील कुमार अग्रवाल तनय श्री बालकृष्ण अग्रवाल उम्र 44 वर्ष, निवासी-वार्ड नं-19 हाउस नं. 106-113 ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी, सटई रोड छतरपुर (म.प्र.) यह कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र तथा परिवार आई.डी. में मेरा नाम सुनील कुमार अग्रवाल तनय श्री बालकृष्ण अग्रवाल लेख है। मेरे द्वारा पुत्री एंजिल अग्रवाल के अध्ययन हेतु प्रवेश कराने में त्रुटिवश मैंने अपना नाम सुनील अग्रवाल लेख करा दिया था जिसे भविष्य की परेशानी से बचने तथा सभी दस्तावेजों में एक समानता बनाये रखने हेतु मेरी पुत्री एंजिल अग्रवाल के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम सुनील कुमार अग्रवाल लेख कराया जाना आवश्यक है।

तदानुसार मेरी पुत्री एंजिल अग्रवाल के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम सुनील कुमार अग्रवाल किये जाने हेतु यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई।

पुराना नाम :
(सुनील अग्रवाल)

(362-बी.)

नया नाम :
(सुनील कुमार अग्रवाल)
तनय श्री बालकृष्ण अग्रवाल,
वार्ड नं 19, हाउस न. 106-113,
ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी, सटई रोड,
छतरपुर (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं तेज सिंह भदौरिया पुत्र श्री जगदीश सिंह भदौरिया, उम्र 50 वर्ष, निवासी रजनीगंधा इनक्लेव गोले का मन्दिर, ग्वालियर, वर्तमान पता- डी.डी. नगर, कोठारी हाऊस के पास, एफ.ए.एच. 2, के सामने, ग्वालियर मध्यप्रदेश. मेरे पुत्र शिवम भदौरिया की कक्षा 10वीं व 12वीं की मार्कशीट में मेरा नाम तेज सिंह भदौरिया के स्थान पर छोटे सिंह भदौरिया अंकित हो गया है जबकि मेरा सही नाम तेज सिंह भदौरिया है। जोकि सत्य व सही है। इसलिये मेरे पुत्र की कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की मार्कशीट में मेरा नाम संशोधित (परिवर्तन) करते हुये छोटे सिंह भदौरिया के स्थान पर तेजसिंह भदौरिया अंकित किया जावे. समस्त सूचित हों।

पुराना नाम :
(छोटे सिंह भदौरिया)
पुत्र श्री जगदीश सिंह भदौरिया.
(363-बी.)

नया नाम :
(तेज सिंह भदौरिया)
पुत्र श्री जगदीश सिंह भदौरिया,

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम निर्मला सिंह से बदलकर नया नाम सरिता सिंह रख लिया है। मुझे भविष्य में सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम सरिता सिंह से ही जाना एवं पहचाना जाये एवं उपयोग किया जावे।

पुराना नाम :
(निर्मला सिंह)

(364-बी.)

नया नाम :
(सरिता सिंह)
पत्नी श्री तेजप्रताप सिंह परिहार,
पता-सैनिक कॉलोनी, पिन्टोपार्क,
गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम लक्की गायकवाड़ था जो अब परिवर्तन होकर रमन गायकवाड़ पिता श्री विजय राव गायकवाड़ हो गया. अब मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(लक्की गायकवाड़)

नया नाम :
(रमन गायकवाड़)
पिता श्री विजय राव गायकवाड़,
निवासी-1187/31, नंदा नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

(365-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती शालू शर्मा पत्नी श्री रवि शर्मा सर्व साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम स्वाति शर्मा पुत्री श्री मुकेश शर्मा था. मेरे पिता जी की बीमा पॉलिसी क्र. 202017246 में एवं अन्य प्रपत्रों में नॉमिनी (उत्तराधिकारी) के रूप में लिखा गया है वर्तमान में मैं श्रीमती शालू शर्मा पत्नी श्री रवि शर्मा के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम श्रीमती शालू शर्मा पत्नी श्री रवि शर्मा के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूंगी. स्वाति शर्मा एवं शालू शर्मा दोनों ही मेरे नाम हैं अतः मेरे पिताजी की एल.आई.सी. पॉलिसी क्र. 202017246 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम स्वाति शर्मा के स्थान पर श्रीमती शालू शर्मा पत्नी श्री रवि शर्मा लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्जन सूचित हो.

पुराना नाम :
(स्वाति शर्मा)

नया नाम :
(शालू शर्मा)
पत्नी श्री रवि शर्मा,
पता-गणेश कॉलोनी, डबरा,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(366-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र में उसका नाम जिहान पाल अंकित है जो कि गलत है जबकि मेरे पुत्र का सही नाम जतिन पाल है. अतः सूचना प्रकाशन के बाद मेरे पुत्र का सही नाम जतिन पाल पढ़ा व समझा जावे व उसे जन्म प्रमाण-पत्र में जतिन पाल दर्ज किया जाए.

सूचनाकर्ता :
(दीपक पाल)
पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह पाल,
पता-नाका चन्द्रवदनी, बड़े पुल के पास,
लभेड़पुरा, लशकर ग्वालियर (म.प्र.).

(367-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, राजकुमार सोनी पुत्र श्री सत्यनारायण सोनी सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम राजेश सोनी है, जो कि मेरे बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित हो गया है, जबकि वर्तमान में मैं, राजकुमार सोनी पुत्र श्री सत्यनारायण सोनी के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इत्यादि में अंकित है तथा भविष्य में भी मैं राजकुमार सोनी पुत्र श्री सत्यनारायण सोनी के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा तथा हस्ताक्षर करता रहूंगा. राजेश सोनी एवं राजकुमार सोनी एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः मेरे बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम राजेश सोनी के स्थान पर राजकुमार सोनी लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(राजेश सोनी)

नया नाम :
(राजकुमार सोनी)
पुत्र श्री सत्यनारायण सोनी,
जमुना लाल मार्केट, सराफा बाजार,
लशकर ग्वालियर (म.प्र.).

(368-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती रिया दुसेजा पत्नी श्री कमल दुसेजा सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम कु. अनीता तलरेजा पुत्री श्री भीष्म तलरेजा था, जो मेरी एल.आई.सी. पॉलिसी क्र. 202152590 एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती रिया दुसेजा पत्नी श्री कमल दुसेजा हो गया है तथा वर्तमान में मैं, श्रीमती रिया दुसेजा पत्नी श्री कमल दुसेजा के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम श्रीमती रिया दुसेजा पत्नी श्री कमल दुसेजा से जानी पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी. श्रीमती रिया दुसेजा एवं कु. अनीता तलरेजा मेरी ही नाम. अतः मेरी एल.आई.सी. पॉलिसी क्र. 202152590 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम कु. अनीता तलरेजा पुत्री श्री भीष्म तलरेजा के स्थान पर श्रीमती रिया दुसेजा पत्नी श्री कमल दुसेजा लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(कु. अनीता तलरेजा)

(369-बी.)

नया नाम :

(रिया दुसेजा)

पत्नी श्री कमल दुसेजा,
समाधिया कॉलोनी, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र.)**नाम परिवर्तन**

मेरा नाम मीना पिता श्री किशोरी है. विवाह पूर्व मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती थी. उक्त नाम मेरे शैक्षणिक रिकॉर्ड में दर्ज है. विवाह उपरांत सामाजिक रीति अनुसार मेरा नाम परिवर्तित होकर बंसती जाटव पत्नी श्री लीला किशन हुआ है तब से मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ.

पुराना नाम :

(मीना)

पुत्री श्री किशोरी.

(370-बी.)

नया नाम :

(बंसती)

पत्नी श्री लीलाकिशन,
निवासी-66झ, ईश्वर नगर, भोपाल.**CHANGE OF NAME**

Before marriage my name was Monika father's name Purshottam and surname Chawla. After marriage (dt. 17/01/2019). I will be known by new name DEESHITA TEKWANI W/o Mr. NIKHIL TEKWANI.

पुराना नाम :

(मोनिका पुरूषोत्तम चावला)

(371-बी.)

नया नाम :

(दीशिता टेकवानी)

पत्नी श्री निखिल टेकवानी,
निवासी-166, वन ट्री हिल्स, बैरागढ़, भोपाल.**CHANGE OF NAME**

Before marriage my name was SONALI D/o GHANSHYAM LALWANI. After marriage I will be known by new name PANAASH PARWANI W/o Mr. VIVEK PARWANI.

पुराना नाम :

(सोनाली)

पुत्री श्री घनश्याम.

(372-बी.)

नया नाम :

(पनाश पारवानी)

पत्नी श्री विवेक पारवानी,
निवासी-8, सैनिक कॉलोनी, बैरागढ़, भोपाल. 462030.**नाम परिवर्तन**

मेरा नाम विवाह पूर्व रेखा पुत्री श्री ओमप्रकाश है. जो शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. विवाह पश्चात् मेरा नाम परिवर्तन होकर महक रामनानी पत्नी श्री अनिल रामनानी हुआ तथा मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ.

पुराना नाम :

(रेखा)

पुत्री श्री ओमप्रकाश.

(373-बी.)

नया नाम :

(महक रामनानी)

पत्नी श्री अनिल रामनानी,
पता-एफ-2/15, जैन मन्दिर के पास,
बैरागढ़, भोपाल.

नाम परिवर्तन

मैं, संगीता गिलानी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार गिलानी सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम कु. नन्दा ठाकुर पुत्री श्री सुखुमल ठाकुर था, जो मेरी एल.आई.सी. पॉलिसी क्र. 201058833 एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती संगीता गिलानी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार गिलानी हो गया है तथा वर्तमान में मैं, श्रीमती संगीता गिलानी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार गिलानी के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम श्रीमती संगीता गिलानी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार गिलानी के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी. श्रीमती संगीता गिलानी एवं कु. नन्दा ठाकुर मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी एल.आई.सी. पॉलिसी क्र. 201058833 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम कु. नन्दा ठाकुर पुत्री श्री सुखुमल ठाकुर के स्थान पर संगीता गिलानी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार गिलानी लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(कु. नन्दा ठाकुर)

(374-बी.)

नया नाम :

(संगीता गिलानी)

पता-अपना घर कॉलोनी, बहोड़ापुर,
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

मैं, श्वेता बत्रा पत्नी श्री राजेश बत्रा सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम रिता बत्रा पुत्री श्री नानकराम हबलानी था, जो मेरी एल.आई.सी. पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. वर्तमान में मैं, श्वेता बत्रा पत्नी श्री राजेश बत्रा के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम श्वेता बत्रा पत्नी श्री राजेश बत्रा से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी. श्वेता बत्रा एवं रिता बत्रा मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी एल.आई.सी. पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रिता बत्रा पुत्री श्री नानकराम हबलानी के स्थान पर श्वेता बत्रा पत्नी श्री राजेश बत्रा लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(रिता बत्रा)

(375-बी.)

नया नाम :

(श्वेता बत्रा)

पता-जगताप की गोठ, भोसले साहब का बाड़ा,
कम्पू, लशकर, ग्वालियर.**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में हमारा नाम सचिन यादव पुत्र अशोक यादव व तुलसी यादव था, जिसमें अब हमने हमारा उपनाम बदलकर सचिन ठाकुर पुत्र अशोक सिंह ठाकुर व तुलसी ठाकुर कर लिया है. अतः हमें मेरे सभी शासकीय व अशासकीय व शैक्षणिक दस्तावेजों में हमारे नये नाम सचिन ठाकुर पुत्र अशोक सिंह ठाकुर व तुलसी ठाकुर से ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(सचिन यादव)

पुत्र अशोक यादव व तुलसी यादव.

(382-बी.)

नया नाम :

(सचिन ठाकुर)

पुत्र अशोक सिंह ठाकुर व तुलसी ठाकुर,
41/1, गणपति मार्ग, नौगांव,
धार (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम अंजली सुखवानी पिता बंशीलाल सुखवानी था, जिसे 03-12-2018 को शादी हो जाने के बाद बदलकर हमने नाईशा सचदेव पत्नी नरेश सचदेव कर लिया है. अतः मुझे मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरे नये नाम नाईशा सचदेव से ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(अंजली सुखवानी)

पिता बंशीलाल सुखवानी.

(383-बी.)

नया नाम :

(नाईशा सचदेव)

पत्नी नरेश सचदेव,
56, सर्वोदय नगर, सपना-संगीता,
इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

में श्रीमती शशी बाई सुकरिया हैं उक्त तीनों नाम एक ही के हैं, जो घर में सुकरिया उर्फ शशिबाई कहते हैं. परन्तु उसका वास्तविक नाम शशि कुमारी है तथा उसके पति श्री चिमनलाल आहके के सेवा अभिलेख के परिवार पत्र में शशि कुमारी ही लेख किया जावे इसमें किसी को आपत्ति हो तो पन्द्रह 15 दिनों के अंदर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

पुराना नाम :

(सुकरिया उर्फ शशिबाई)

(384-बी.)

नया नाम :

(शशि कुमारी)

पति श्री चिमनलाल आहके,
ग्राम बिलावर कला जुन्नारदेव,
जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.).

PUBLIC NOTICE

(U/s. 72 of Indian Partnership Act, 1932)

Notice is hereby given that in the firm of M/s J. S. GROUP AND COMPANIES registered office at 177, M.G. Road, Thandla, Dist. Jhabua (M.P.) 457777. A Registered Partnership firm vide Registration No. 03/29/04/0104/16/2016-17, dated 06/10/2016 with the Registrar of firms, which was constituted vide partnership deed executed on 02-08-2016 and the initial partners where (1) Mayur Talera S/o Shri Vardhman ji Talera, (2) Smt. Monika Talera W/o Mayur ji Talera, (3) Smt. Sangeeta Soni W/o Shri. Vishwas ji Soni, (4) Shri. Chinmay Soni S/o Shri Vishwas ji Soni, (5) Samirmal Jain S/o Shri Mishri mal ji Jain, (6) Shri Prafull Kumar Talera S/o Shri Surendra Kumar ji Talera, (7) Shri Rakesh Talera S/o Shri Surendra Kumar ji Talera, (8) Smt. Shanta ben Talera W/o Surendra Kumar Talera, (9) Smt. Shakuntala Talera W/o Shri Vardhman ji Talera all are R/o Thandla Distt. Jhabua, (M.P.) 457777.

There is a change in Constitution of the firm and the following partners has been entered into partnership business w.e.f. 12/03/2019 vide Partnership deed dated 12/03/2019.

1. Shri Arpit Mehta S/o Shri Praveen Mehta R/o Thandla Distt. Jhabua, (M.P.)
2. Shri Dipesh Jain S/o Shri Rajesh Jain R/o Mahaveer Marg, Nayapura, Ujjain, (M.P.)

For-M/s J. S. GROUP AND COMPANIES,
MAYUR TALERA,
(Partner).

(376-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जा रहा है कि मेसर्स श्री सालासर इंटरप्राइजेज दिनांक 27-3-2012 में एक पंजीकृत साझेदारी फर्म रजि. नं. 02/42/01/00323/12, वर्ष 2012-13 के रूप में कार्य कर रही है, जिसका संबोधित साझेदारी विलेख दिनांक 01-07-2019 से इस प्रकार है. श्री गौतम राय रैली पुत्र श्री गुलशन राय रैली और श्रीमती प्रिया रैली पत्नी श्री गौतम राय रैली अपनी स्वेच्छा से त्याग-पत्र देकर फर्म से हट रहे हैं तथा श्री महेश भारद्वाज पुत्र श्री मुन्नालाल भारद्वाज, श्री अरविंद अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल, श्री जयदीप अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश अग्रवाल फर्म में सम्मिलित हुये हैं. फर्म का नया पंजीकृत पता अपोजिट राधे गैस गोदाम, कॉस्मो अनन्दा, सिरोल रोड़, ग्वालियर (म.प्र.) 474006 हर आम आदमी को सूचित हो.

मेसर्स श्री सालासर इंटरप्राइजेज,
जयदीप अग्रवाल,
अपोजिट राधे गैस गोदाम, कॉस्मो अनन्दा,
सिरोल रोड़, ग्वालियर (म.प्र.).

(377-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स व्ही.एस. इन्टरटेनमेंट फर्म जिसका पता- 64-बी, प्रेम नगर, इन्दौर (म.प्र.), जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/00131/11, दिनांक 29/09/2011 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्रीमती हीना वाधवानी पति श्री ओमप्रकाश वाधवानी, 2. श्रीमती पूनम वाधवानी पति श्री किशोर वाधवानी, 3. श्री ओमप्रकाश वाधवानी कर्ता वास्ते ओमप्रकाश वाधवानी एच.यू.एफ. थे. तत्पश्चात् दिनांक 01/04/2010 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री ओमप्रकाश वाधवानी कर्ता वास्ते ओमप्रकाश वाधवानी एच.यू.एफ. भागीदारी फर्म मेसर्स व्ही.एस. इन्टरटेनमेंट से पृथक् हो गये हैं. भागीदार ने फर्म मेसर्स व्ही.एस. इन्टरटेनमेंट से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है. तत्पश्चात् दिनांक 11/07/2012 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री नितेश वाधवानी

पिता स्व. श्री अशोक वाधवानी भागीदारी फर्म मेसर्स व्ही.एस. इन्टरटेनमेंट में सम्मिलित हो गये हैं एवं फर्म का पता- 164/1, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर (म.प्र.) हो गया है।

यह विदित हो.

(378-बी.)

तर्फे
मेसर्स व्ही.एस. इन्टरटेनमेंट,
1. हीना वाधवानी,
2. पूनम वाधवानी,
3. नितेश वाधवानी,
(पार्टनर).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. नर्मदा धारा फिलिंग सेण्टर, दमोह (म.प्र.) Reg. No. 06/10/01/0011/16, सन् 2016-17, जिसमें साझेदार श्री राजेन्द्र कुमार ताम्रकार एवं श्री राहुल ताम्रकार थे. अब यह साझेदारी दिनांक 02/03/2019 को विघटित की जा चुकी है।

(379-बी.)

मे. नर्मदा धारा फिलिंग सेण्टर,
राहुल ताम्रकार,
(भागीदार).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स स्वामी विवेकानंद डेव्हलपर्स, गाडरवारा, जिसका पंजीयन क्रमांक 150/18, दिनांक 01-09-2018 है, जो एच.एन. 155, आजाद भवन के सामने स्थित है, जिसमें दिनांक 16-07-2019 को भागीदार श्री गोपाल आडवानी पुत्र स्व. श्री धनराज आडवानी, निवासी- स्नेह नगर, बालाघाट (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. फर्म का संचालन अन्य शेष भागीदार श्री वीरेन्द्र पाण्डेय, चौधरी दिल्ली सिंह पटेल व मोती वासवानी के द्वारा किया जायेगा. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

(380-बी.)

फर्म- मैसर्स स्वामी विवेकानंद डेव्हलपर्स,
वीरेन्द्र पाण्डे,
(भागीदार)
एच.एन. 155, आजाद भवन के सामने,
गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर (म.प्र.).

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अग्रवाल कोटेक्स, संधवा, जिला बड़वानी भागीदारी फर्म जिसका पंजीयन क्र. 3/31/05/00139/08, दिनांक 31-10-2008 है में भागीदार श्री हरिदास आसाराम थोटे पिता श्री आसाराम थोटे, निवासी- सिल्लोड, जिला औरंगाबाद, श्री सैय्यद सतार सैयद इब्राहिम बागवान पिता श्री सैयद इब्राहिम बागवान, निवासी- सिल्लोड, जिला औरंगाबाद, दिनांक 1-4-2019 को भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत रिटायर्ड हो गये हैं एवं फर्म में दिनांक 1-4-2019 से नवीन भागीदार के रूप में श्री शेख आसिफ पिता श्री शेख नबी बागवान, निवासी- सिल्लोड, जिला औरंगाबाद फर्म में भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं. आमजन को सूचित हो.

(381-बी.)

मेसर्स अग्रवाल कोटेक्स,
शेख अमीन,
(पार्टनर).

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, बड़वानी, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 14 जून, 2019

फार्म नंबर-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5(1) के अंतर्गत]

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट बड़वानी के समक्ष.

क्र./2589/रीडर-1/2019.— आवेदक अध्यक्ष श्री राजेन्द्र मालवीया, पिता अमीचन्द मालवीया निवासी बड़वानी द्वारा सरस्वती मालवीया

एज्युकेशनल ट्रस्ट बड़वानी का मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत सरस्वती मालवीया एज्युकेशनल ट्रस्ट बड़वानी का पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त पंजीयन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह नोटिस के प्रकाशन के 01 माह के अवधि के भीतर 02 प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं या अधिकृत व्यक्ति अथवा जरिये अभिभाषक के न्यायालय समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के बाद प्रस्तुत किये जाने सुझाव अथवा आपत्ति पर कोई विचार/सुनवाई नहीं की जावेगी।

आज दिनांक 14 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

(473)

अभय सिंह ओहरिया,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, चंदेरी, जिला अशोकनगर

प्र.क्र.01/बी-113/18-19.

चंदेरी, दिनांक 25 जून, 2019

इस न्यायालय में म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 की धारा-09 की उपधारा-(01) के अन्तर्गत श्री दि. जैन अतिशय क्षेत्र थूबोन जी को परिवर्तन का स्वरूप श्री दि. जैन दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र थूबोन न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2019 को विचार किया जावेगा।

इस धार्मिक स्थल के नाम परिवर्तन एवं नवीन चल व अचल सम्पत्ति के पंजीयन किये जाने के संबंध में कोई अन्य व्यक्ति उपरोक्त ट्रस्ट की सम्पत्ति के बावत् किसी भी प्रकार का संबंध रखता है तो वह कोई भी आपत्ति या सुझाव दो प्रतियों लिखित रूप से इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के 15 के अंदर मेरे समक्ष स्वयं/अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। तिथि निकल जाने के पश्चात् की गई किसी भी प्रकार की आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची क्रमांक-1

मंदिर के प्रबंधन कार्यकारणी (न्यासीगण) के सदस्यों, प्रबंधक, न्यासी व पदाधिकारियों की पते सहित सूची-

(1) श्री अरविन्द जैन टिंगु मील (अध्यक्ष), (2) श्री गिरीश जैन अथईखेडा, श्री राकेश जैन अमरोद, श्री धमेन्द्र रोकडिया (उपाध्यक्ष), श्री विपिन सिंधई (महामंत्री), श्री बिनोद मोदी, राजेन्द्र हलवाई, प्रदीप रानी (मंत्री), श्री विजय जैन धुरी (प्रसार मंत्री), श्री राजीव चंदेरी (ऑडीटर), श्री सौरभ बांझल (कोष अध्यक्ष)

(लोक न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण)

सम्पत्ति का नाम तथा विवरण	संख्या	अनुमानित मूल्य	अन्य विवरण
01. सोना	250 ग्राम	05,00 लाख/-	..
02. चांदी	20 कि.ग्रा.	06.00 लाख/-	..
03. वर्तन

(लोक न्यास की अचल सम्पत्ति का विवरण)

सम्पत्ति का नाम तथा विवरण	अनुमानित मूल्य	अन्य विवरण
01. सुधासागर भवन अशोकनगर	50.00 लाख/-	..
02. यात्री विश्राम कक्ष थूबोन जी 76 कमरे	50.00 लाख/-	..
03. संत भवन	35.00 लाख	..
04. विद्यासागर भवन	10.00 लाख	..
05. ए.सी. धर्मशाला	15.00 लाख	..
योग ..	171.00 लाख	

(474)

राहुल गुप्ता,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लश्कर, जिला ग्वालियर

प्र.क्र. 01/बी-113(1)/2019-20.

ग्वालियर दिनांक 25 जून, 2019.

प्रारूप क्रमांक-4

[देखे नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा -5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1962 के नियम-5(1) के द्वारा]

यतः कि श्री दयानंद सरस्वती गुरु नारायणानन्द सरस्वती, निवासी-पत्थर वाले हनुमान मंदिर, निम्बाजी की खो, लश्कर, ग्वालियर अध्यक्ष "श्री श्री 108 श्री नारायणानन्द सरस्वती आश्रम सेवा संस्थान न्यास" ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक जून 2019 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा

अतः मैं, सी.बी. प्रसाद, अनुविभाग लश्कर लोक न्यास का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 25 जून, 2019 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए, कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता : "श्री श्री 108 श्री नारायणानन्द सरस्वती आश्रम सेवा संस्थान न्यास" पता- पत्थर वाले हनुमान मंदिर, निम्बाजी की खो, लश्कर ग्वालियर.
2. न्यास की चल सम्पत्ति : 11,000/-
3. न्यास की अचल सम्पत्ति : निल.

आज दिनांक 25-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

सी. बी. प्रसाद,
पंजीयक.

(475)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राज.परि. टी.टी. नगर, भोपाल

प्र.क्र. 27/बी-121/2018-19.

प्रारूप क्रमांक-4

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम 1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि (खण्डेलवाल वैश्य परमार्थिक ट्रस्ट) द्वारा श्री हरीश खण्डेलवाल, न्यासी एवं अध्यक्ष, द्वारा-खण्डेलवाल न्यासी एवं अध्यक्ष, द्वारा-खण्डेलवाल वैश्य परमार्थिक ट्रस्ट, एच-99, शास्त्री नगर, जवाहर चौक भोपाल ने म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 एवं म.प्र. लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्ट में बदलाव कर दो अतिरिक्त नीति एवं नियम जोड़ने तथा ट्रस्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से भू-खण्ड क्रय किया है, उसे ट्रस्ट की सम्पत्ति में जोड़े जाने की सूचना हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 28 जून, 2019 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : खण्डेलवाल वैश्य परमार्थिक ट्रस्ट शास्त्री नगर भोपाल
2. चल सम्पत्ति : निल
3. अचल सम्पत्ति : निल

आज दिनांक जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

(479)

प्र.क्र. 26/बी-121/2018-19.

प्रारूप क्रमांक-4

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम 1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि (श्रीमाता वैष्णो देवी चेरिटेबल ट्रस्ट) द्वारा श्री हरीश खण्डेलवाल, न्यासी एवं अध्यक्ष, द्वारा-श्रीमाता वैष्णो देवी चेरिटेबल ट्रस्ट, पता-23, न्यू एम.एल.ए. कालोनी जवाहर चौक, भोपाल ने म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 एवं म.प्र. लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्ट में बदलाव कर दो अतिरिक्त नीति एवं नियम जोड़ने तथा दो ट्रस्टियों की मृत्यु हो जाने पर एक न्यासी का नाम जोड़े जाने की सूचना हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 28 जून, 2019 को विचार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा

अनुसूची

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. ट्रस्ट का नाम व पता | : | श्रीमाता वैष्णो देवी चेरिटेबल ट्रस्ट, जवाहर चौक, भोपाल |
| 2. चल सम्पत्ति | : | निल |
| 3. अचल सम्पत्ति | : | निल |

आज दिनांक जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

(480)

संजय कुमार श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक न्यास, मुंगावली/पिपरई, जिला अशोकनगर

प्र.क्र.01/बी-113/19-20.

दिनांक 25 जून, 2019

मंदिर श्री दुर्गाजी न्यास, स्थित ग्राम शुक्लापुरी
तहसील पिपरई जिला अशोकनगर (म.प्र.)

.....आवेदक

बनाम,

शासन एवं सर्व-साधारण

.....अनावेदक

इस विज्ञप्ति द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मंदिर श्री दुर्गाजी स्थित ग्राम शुक्लापुरी, तहसील पिपरई, जिला अशोकनगर की ओर से श्री रविन्द्रनाथ शुक्ला पुत्र श्री अमरनाथ जी शुक्ला सचिव एवं प्रबंधक द्वारा आवेदन इस न्यायालय में धारा-4:3 लोक न्यास अधिनियम के तहत लोक न्यास के पंजीयन बाबत पेश किया है।

कि जिसमें संलग्न अनुसूची क्र.1 के अनुसार कुल 9 सदस्यों को ट्रस्ट के सदस्यों व पदाधिकारियों के रूपम नामित किया गया है व अनुसूची क्र. 2 के अनुसार न्यास की संपत्तियों की विवरणी पेश की गई है, तथा संलग्न सूची क्र. 3 के अनुसार न्यास की संपत्तियों का मूल्यांकन किया गया है।

कि इस बाबत जिस किसी व्यक्तियों को आपत्ति हो तो वह अपनी लेखी आपत्ति स्वयं या प्रभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 26 जुलाई, 2019 को दिन के 11:00 बजे प्रस्तुत करें, बाद गुजरने म्याद कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी व प्रकरण में विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही की ओर न्यायालय अग्रसर होगा।

अनुसूची क्र. 2**न्यास की चल सम्पत्ति की विवरणी**

1. मूर्ति श्री दुर्गाजी अस्टभुजा कीमती 20,000/-रु.
2. मूर्ति श्री हनुमान जी पाषाढ कीमती 3000/-रु.
3. मूर्ति श्री शिव जी का परिवार 6000/-रु.
4. सोने की नथनी 10000/-रु.
5. चांदी के छत्र दो 20000/-रु.
6. पीतल के घण्टा 4 कीमती 4000/-रु.

7. शिखर के ऊपर कलश पीतल के कुल 7-कीमत 15000/-रु.
 8. शंख दो कीमत 200/-रु.
 9. गरूड़ घण्टी-2 कीमत 500/-रु.
 10. आरतीदानी-2 कीमत 5000/-रु.
 11. दीपदान-2 कीमती 500/-रु.
 12. घडियाल कीमत 500/-रु.
 13. लोटा तांबे के-5 कीमती 3000/-रु.
 14. अखंड ज्योति 500/-रु.
 15. अगरवत्ती स्टेण्ड 200/-रु.
 16. बाल्टी लोहे की-दो 400/-रु.
 17. माईक सेट एक 5000/-रु.
- कुल संख्या-17 कुल कीमत 71300/-रु. (इकत्तर हजार, तीन सौ रु.)

अनुसूची क्र. 3

न्यास की अचल संपत्तियों की विवरणी

1. मंदिर पक्का निर्मित 400000/-रु.
2. कृषि भूमि स्थित ग्राम शुक्लापुरी परगना मुंगावली जिला अशोकनगर

म.प्र सर्वे नं. 23/1	रकवा 0.490 हेक्टर.
सर्वे न. 23/2/4मि.	रकवा 1.045 हेक्टर.
सर्वे नं. 32	रकवा 0.554 हेक्टर.

योग कित्ता 3 रकवा 2.089 हेक्टर. कीमती:- 532695/-रु.
कुल कीमती:- 932695/-रु.

यह आम विज्ञप्ति मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से आज जारी की गई.

(477)

आर.ए. प्रजापति,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा, जिला हरदा

श्री हैहयवंशीय क्षेत्रीय ताम्रकार कसेरा समाज, हरदा, जिला हरदा मुख्य ट्रस्टी एवं ट्रस्टीगण-आवेदक
विरुद्ध
सर्वसाधारण

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक मुख्य न्यासी श्री हैहयवंशीय क्षेत्रीय ताम्रकार कसेरा समाज हरदा द्वारा सामाजिक प्रस्ताव अनुसार श्री हैहयवंशीय क्षेत्रीय ताम्रकार कसेरा समाज हरदा के नाम से लोक न्यास का गठन करने हेतु आवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया है.

सर्व-साधारण के संज्ञान में लाया जाता है कि उक्तानुसार लोक न्यास में यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो वह पेशी दिनांक 07 अगस्त, 2019 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है, बाद नियत तिथि के गुजरने के प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं आवेदन अनुसार न्यास का गठन कर दिया जावेगा.

उद्घोषणा आज दिनांक 11 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर उपरान्त मेरी पदमुद्रा एवं न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया जाता है.

(478)

एच.एस. चौधरी,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 7 जून, 2019

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57-सी के अंतर्गत)

उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख

लिखे है, को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा- 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है।—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	महांकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बागोदा	1197/25-02-2015	569/04-06-2016
2.	शांति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बापचा	1115/03-11-2014	569/04-06-2016
3.	फल-फूल, साग-सब्जी, सह.संस्था मर्या., बिकलाखेडी	688/19-03-1998	569/04-06-2016
4.	चेतना रेडिमेट औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., मक्सी	223/16-01-1991	569/04-06-2016
5.	मालवा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., डासी	438/08-10-1987	569/04-06-2016
6.	श्री महिला साख सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर	01/29-11-2000	569/04-06-2016
7.	महिला दुग्ध उत्पादक सह.संस्था मर्या., जाबडिया धरवास	977/12-08-2008	346/20-02-2017
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झोंकर	190/15-05-1981	345/20-02-2017
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तिलावदी	535/26-10-1989	673/24-04-2018
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुलमनखेडी	509/29-03-1989	673/24-04-2018
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिरगोद	412/25-08-1987	673/24-04-2018
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मालीखेडी बेरछा	369/18-03-1986	673/24-04-2018
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेरछी	171/20-09-1980	673/24-04-2018
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डोकरगांव	621/21-01-1984	673/24-04-2018
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसुडल्या जगमाल	1108/14-10-2014	673/24-04-2018

अतः मैं राजेश देवडा, परिसमापक एवं सहकारी संस्था निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, पुराना जिला पंचायत भवन, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

राजेश देवडा,

(476)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2019-श्रावण 4, शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2019

1. **मौसम एवं वर्षा.**—प्रायः राज्य में आकाश मेघाच्छादित रहा है. राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(अ) 0.01 मि. मी. से 17.04 मि. मी. तक:- तहसील करहाल श्योपुर, विजयपुर, (श्योपुर) ग्वालियर, (ग्वालियर) शिवपुरी, खनियाधाना, नरवर, करैरा, बैराड, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), मुगावली, ईषागढ़, अशोकनगर, दन्देरी (अशोकनगर) गुना, राघोगढ़, वमोरी, आरोन, कुम्भराज (गुना) निवाड़ी, टीकमगढ़, बलदेवगढ़, पलेरा, आरेछा, (टीकमगढ़) हटा, बटियागढ़, दमोह, पथरिया, पटेरा (दमोह) मझगवा, रामपुरनैकिन, उचैरा, अमरपाटन, रामनगर, मैयर, विरसिंहपुर, (सतना) त्योथर, सिरमोर, मऊगंज, हनुमना, गुड, मनगवां, सेमरिया, रामपुर कर्चु. (रीवा), सोहागपुर, ब्योहारी, बुडार, गौहपारू, जैतुपर (शहडोल) जैतहरी, कोतमा, (अनूपपुर) बाधवगढ़, पाली (उमरिया) गोपदवनास, सिंहाबल, चुरहट, मझोली, बहरी, रामपुरनैकिन (सीधी) चितरंगी, देवसर, सिंगरोली (सिंगरोली) सुवासरा, भानपुरा, मलहारगढ़, गरोट, मन्दसौर+ दालोद, श्यामगढ़, सीतामऊ (मन्दसौर) नीमच (नीमच) आलोट (रतलाम) खांचरोद, महिदपुर, उज्जैन (उज्जैन) बदनावर, धार (धार) देपालपुर, साबेर, गैतमपुरा (इन्दौर) राजगढ़, जीरापुर, खिलचीपुर, व्यावरा, सारंगपुर, पचोर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़) विदिशा (विदिशा) नसरूल्लागंज, रैहटी. बुधनी (सिहोर) गैरतगंज, गोहरगंज, बरेली, सिलवानी, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन) बैतूल, घोड़ाडोगरी (बैतूल) होशंगाबाद, बाबई, इटारसी, पिपरिया, बनखेड़ी (होशंगाबाद) जबलपुर, कुन्डम, सिहोरा, पाटन, मझोली, शाहपुरा, पनागर(जबलपुर) मण्डला, नेनपुर, बिछिया, निवास, घुघरी (मण्डला) छिन्दवाड़ा, सांसर, अमरबाड़ा, उमरेठ, मौहखेड़, हर्ई, पान्दुर्ना (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(अ) 17.05 मि. मी. से 34.09 मि. मी. तक:- तहसील नागोद, अमरपाटन (सतना) जयसिंहनगर (शहडोल) अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर) मानपुर (उमरिया) उदयपुरा (रायसेन) सुहागपुर (होशंगाबाद) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव : . . .

3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- ..
4. धानरोपाई पर वर्षा का प्रभाव :- ..
5. खड़ी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :- ..
6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :- ..

7. अन्य असामयक घटना से छति :- ओला पानी गिरने से जिला बैतूल में दो ग्राम व एक वन ग्राम में तथा जिला होशंगाबाद में 67 ग्रामों में 10 प्रतिशत छति का अनुमान व जिला-छिन्दवाड़ा की तहसील छिन्दवाड़ा में एक ग्राम तथा अमरबाड़ा में एक ग्राम में 25 से 33 प्रतिशत क्षति होने का अनुमान एवं विस्तृत सर्वे कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया है.

8. फसल स्थिति :- राज्य के सभी जिलों में फसल स्थिति सामान्य रहना प्रतिवेदित किया गया है.

9. सिंचाई:- जिला सागर, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरोली, नीमच, शाजापुर, इन्दौर, बड़वानी, खण्डवा, विदिशा, भोपाल, सीहोर, बैतूल, छिन्दवाड़ा शिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2019

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) सरसो, चना अधिक गेहूँ-कम (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	. .				
2. पोरसा	. .				
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. कैलारस	. .				
6. सबलगढ़	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, सोंहा, मैथी समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	2.3				
2. कराहल	8.0				
3. विजयपुर	4.0				
4. वीरपुर	. .				
5. बडोदा	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) सरसों, गेहूँ, चना. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	. .				
2. भिण्ड	. .				
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. रौन+मिहोना	. .				
7. गोरमी	. .				
8. मौ	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	1.0				
2. डबरा	. .				
3. भितरवार	. .				
4. चीनोर	. .				
5. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, गेहूँ अधिक. सरसों, जौ समान. चना, मटर, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	. .				
2. दतिया	. .				
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	7.0			4. (1) गेहूँ, चना, सरसों.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	5.0			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	4.0						
4. नरवर	11.0						
5. करैरा	4.0						
6. कोलारस	10.0						
7. पोहरी	8.0						
8. बैराढ़	7.8						
9. बदरवास	6.0						
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	9.0			4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	4.0			(2) उपरोक्त फसलें समान.		चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	11.0						
4. चन्देरी	11.0						
5. नई सराय	..						
6. पिपरई	..						
7. शाढौरा	..						
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	2.8			4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मसूर,		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	4.0			धनियां बीज समान.		चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	13.0			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.			
4. आरोन	4.0						
5. चाचौड़ा	..						
6. मकसूदनगढ़	..						
7. कुम्भराज	5.0						
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	5.0			4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर,		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	1.0			राई-सरसों अधिक. तुअर,		चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..			गन्ना कम.			
4. टीकमगढ़	2.0			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.			
5. बल्देवगढ़	11.0						
6. पलेरा	2.0						
7. खरगापुर	..						
8. मोहनगढ़	..						
9. लिधौरा	..						
10. ओरछा	2.0						
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..			4. (1) गेहूँ, चना, जौ अधिक.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..			(2) ..		चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..						
4. छतरपुर	..						
5. राजनगर	..						
6. बिजावर	..						
7. बड़ा मलहरा	..						
8. लवकुशनगर	..						
9. बक्सवाहा	..						
10. महाराजपुर	..						
11. चंदला	..						
12. धुवारा	..						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7 पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
6. देवेन्द्रनगर	. .				
7. अमानगंज	. .				
8. सिमरिया	. .				
9. रैपुरा	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7 पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		तिबड़ा, राई-सरसों, अलसी	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		गन्ना कम. आलू-प्याज		
4. सागर	. .		अधिक.		
5. रेहली	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7 पर्याप्त.
1. हटा	9.0		4. (1) मसूर, बटरी अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	8.0		तुअर, चना, गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	1.0		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. पथरिया	5.0				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	5.0				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7 पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	17.8		4. (1) तुअर, मटर, अलसी समान.	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	11.0		गेहूँ, चना, मसूर, सरसों,	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	15.0		जौ कम.		
4. नागौद	19.4		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
5. उचेहरा	15.0				
6. अमरपाटन	18.0				
7. रामनगर	10.0				
8. मैहर	12.0				
9. कोटर	. .				
10. बिरसिंहपुर	4.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7 पर्याप्त.
1. ल्यौंथर	3.0		4. (1) मसूर अधिक. गेहूँ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	9.8		अलसी, ज्वार, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	9.4		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. हनुमना	4.3				
5. हुजूर	8.5				
6. गुढ़	8.0				
7. मनगवां	12.0				
8. सेमरिया	3.0				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकचुलियान	3.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	8.4			4. (1) तुअर, राई, चना, गेहूँ, मसूर, मटर, अलसी अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	3.0			(2) तुअर बिगड़ी हुई हैं. शेष फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. जयसिंहनगर	32.0					
4. बुढ़ार	2.0					
5. गोहपारू	11.0					
6. जैतपुर	16.4					
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	12.9			4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर अधिक. अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	18.2			(2) तुअर, मसूर बिगड़ी हुई. अलसी समान हैं. गेहूँ, चना सुधरी हुई हैं.		
3. कोतमा	13.4					
4. पुष्पराजगढ़	30.1					
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	13.8			4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, तुअर मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	9.0			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. चंदिआ	..					
4. नौरोजाबाद	..					
5. मानपुर	18.5					
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	1.4			4. (1) अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	4.4			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. मझौली	2.0					
4. कुसमी	..					
5. चुरहट	4.0					
6. बहरी	4.5					
7. रामपुरनैकिन	6.0					
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	5.7			4. (1) तुअर, चना, जौ अधिक. गेहूँ, राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	4.0			(2) तुअर बिगड़ी हुई है. राई, अलसी समान है.		
3. सरई	..			गेहूँ, चना, जौ सुधरी हुई है.		
4. माडा	..					
5. सिंगरौली	7.0					
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा	1.0			4. (1) गेहूँ, चना अधिक. राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	1.4			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. मल्हारगढ़	1.0					
4. गरोठ	1.2					
5. मंदसौर+दालोद	2.7					
6. श्यामगढ़	1.1					
7. सीतामऊ	1.5					
8. धुंधड़क्का	..					
9. संजीत	..					
10. कयामपुर	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..			4.(1) गेहूँ, सरसों, अलसी अधिक. चना, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	3.4					
3. सिंगौली	..					
4. जीरन	..					
5. रामपुर	..					
6. मनासा	..					
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..			4. (1) गेहूँ, चना कम. रावा कम. (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	6.0					
3. सैलाना	..					
4. बाजना	..					
5. ताल	..					
6. रावटी	..					
7. पिपलोदा	..					
8. रतलाम	..					
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	2.2			4. (1) चना अधिक. गेहूँ, मसूर, कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	5.0					
3. तराना	..					
4. घटिया	..					
5. उज्जैन	6.0					
6. बड़नगर	1.0					
7. नागदा	..					
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..			4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..					
3. नलखेड़ा	..					
4. आगर	..					
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	..			4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ, प्याज, लहसुन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..					
3. शुजालपुर	..					
4. कालापीपल	..					
5. पोलाय कलां	..					
6. अबंतीपुर बड़ोदिया	..					
7. गुलाना	..					
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..			4. (1) मसूर, मटर, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, उड़द (रबी), मूँग(रबी), चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..					
3. देवास	..					
4. बागली	..					
5. कन्नोद	..					
6. हाटपिपल्या	..					
7. सतवास	..					
8. उदयनगर	..					
9. खातेगांव	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) उड़द(रबी), मसूर, मटर, राई-सरसों अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	. .				
2. मेघनगर	. .				
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	. .				
2. अलीराजपुर	. .				
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. उदयगढ़	. .				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
7. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों अधिक. गन्ना, गेहूँ, अलसी, मटर, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	4.8				
2. सरदारपुर	. .				
3. धार	1.8				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) मसूर अधिक. गेहूँ, चना, अलसी, तुअर कम. (2) गेहूँ सुधरी. शेष फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	7.4				
2. सांवेर	0.8				
3. इन्दौर	. .				
4. गौतमपुरा	3.0				
5. हातोद	. .				
6. महू	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ अधिक. चना, राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .				
2. महेश्वर	. .				
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .				
2. ठीकरी	. .				
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	1.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	5.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	6.0				
4. ब्यावरा	8.0				
5. सारंगपुर	4.0				
6. पचोर	6.6				
7. नरसिंहगढ़	1.0				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	2.0				
7. गुलाबगंज	. .				
8. शमसाबाद	. .				
9. त्यांदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		तिवड़ा कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बैरागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		तुअर समान. गेहूँ, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	. .		मटर, जौ कम.		
4. नसरूल्लागंज	4.0		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
5. रेहटी	5.0				
6. श्यामपुर	. .				
7. जावर	. .				
8. बुधनी	3.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी अधिक. गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	7.2		(2) तुअर बिगड़ी हुई शेष फसलें समान हैं.		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	4.0				
5. बरेली	2.6				
6. सिलवानी	2.0				
7. बाड़ी	3.5				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	25.0				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ओला गिरने से जिले के	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	2.6	02 ग्राम एवं 01 बन ग्राम में रबी फसलों की क्षति हुई है.	(1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .		(2) . .		
3. घोड़ाडोंगरी	2.0				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुल्ताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ओला गिरने से जिले के	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	2.4	67 राजस्व ग्राम में नेत्रांकन के आधार पर 10% क्षति होना प्रतिवेदित किया गया है. सर्वेकार्य जारी है.	4. (1) गेहूँ, मसूर, गन्ना अधिक. चना, राई-सरसों, मटर, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिवनी-मालवा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. बावई	2.0				
4. इटारसी	16.4				
5. सोहागपुर	19.0				
6. पिपरिया	15.6				
7. बनखेड़ी	1.8				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जिले में ओला गिरने से	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	8.8	10% से 15% क्षति की जानकारी होना प्रतिवेदित किया गया है.	4. (1) चना, मटर, मसूर, राई-सरसों कम. गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	7.2		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. सीहोरा	4.6				
4. पाटन	9.2				
5. मझौली	6.2				
6. शाहपुरा	3.5				
7. पनागर	11.3				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) तुअर, चना, राई-सरसों. गेहूँ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, चना, मसूर, अधिक. मटर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	..				
2. गोटेगांव	..				
3. करेली	..				
4. गाडरवारा	..				
5. तेंदूखेड़ा	..				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला	6.2				
2. नैनपुर	16.2				
3. बिछिया	8.0				
4. निवास	6.0				
5. नारायणगंज	..				
6. घुघरी	6.3				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाख समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..				
2. शाहपुरा	..				
3. बजाग	..				
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2 तह. छिन्दवाड़ा क्र.01 ग्राम तथा अमरवाड़ा का 01 ग्राम में ओलावृष्टि से 25 से 33% क्षती होना प्रतिवेदित किया गया है. विस्तृत सर्वे कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	7.8				
2. तामिया	..				
3. परासिया	..				
4. जूनारदेव	..				
5. सांसर	0.2				
6. बिछुआ	..				
7. अमरवाड़ा	7.2				
8. चौरई	..				
9. उमरेठ	0.6				
10. मोहखेड	1.2				
11. हरई	8.6				
12. चांद	..				
13. पांडुर्णा	3.4				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, तिवड़ा, तुअर (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. बरघाट	..				
3. कुरई	..				
4. कवलारी	..				
5. लखनादोन	..				
6. छपारा	..				
7. धनोरा	..				
8. घंसोर	..				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) गेहूँ समान. (2) गेहूँ समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. किरनापुर	..				
4. बैहर	..				
5. वारासिवनी	..				
6. कटंगी	..				
7. लालबर्वा	..				
8. तिरोडी	..				
9. परसवाड़ा	..				
10. बिरसा	..				
11. खैरलाँजी	..				

ओ. पी. बाथम,

प्रभारी सहायक आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.